संख्या-98/डी.एस.पी/09
केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन, ब्लॉक-ए,
जी.पी.ओ. काम्पलेक्स,
आई.एन.ए., नई दिल्ली
दिनांक : 23.01.2015

परिपत्र सं-01/01/2015

विषय: शिकायतों पर कार्रवाई की प्रक्रिया संबंधी ।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम, 2003 की धारा 8(1)(घ) के अंतर्गत प्रदत्त अपनी शक्तियों के अंतर्गत आयोग, भ्रष्टाचार के आरोपों में जांच/अन्वेषण करवाता है तथा मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों से रिपोर्ट मांगता है । सभी मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सूचित किया जाता है कि आयोग, अब से, शिकायतकर्ता से पुष्टि मांगेगा कि संबंधित शिकायत उसने की है अथवा नहीं । अत:, आयोग द्वारा जांच एवं रिपोर्ट के लिए मुख्य सतर्कता अधिकारियों को भेजी गई शिकायतों के संबंध में मुख्य सतर्कता अधिकारियों को शिकायतकर्ता से आगे कोई पुष्टि करने की आवश्यकता नहीं होगी । तथापि, स्पष्टीकरण/किसी अतिरिक्त सूचना की यदि आवश्यकता हो तो, इसे मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा मामले में की जा रही जांच के एक भाग के रूप में शिकायतकर्ता से प्राप्त किया जा सकता है ।

2. मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों द्वारा सीधे प्राप्त शिकायतों के संबंध में, यदि किसी शिकायत में भ्रष्टाचार के स्पष्ट एवं सत्यापनीय आरोप/सतर्कता दृष्टिकोण हो तथा ऐसी शिकायतों पर संज्ञान लेने का प्रस्तावित किया जाता है तो, शिकायत को सबसे पहले पुष्टि के लिए शिकायतकर्ता को भेजा जाएगा कि संबंधित शिकायत उन्होंने की है अथवा नहीं । शिकायत भेजने के 15 दिनों के भीतर शिकायतकर्ता से यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता तो एक अनुस्मारक भेजा जाएगा । अनुस्मारक भेजने के 15 दिनों के भीतर भी यदि कोई उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो उक्त शिकायत को संबंधित मंत्रालय/विभाग/संगठन के मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा छद्मनाम शिकायत के रूप में फाइल कर दिया जाए । मुख्य सतर्कता अधिकारियों को सलाह दी जाती है कि किसी भी शिकायत पर शिकायतकर्ता की पुष्टि प्राप्त किए बिना कोई जांच/अन्वेषण प्रारंभ ना किया जाए ।

3. जहां तक आयोग द्वारा, मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के मुख्य सतर्कता अधिकारियों को `आवश्यक कार्रवाई` के लिए भेजी गई शिकायतों का संबंध है, आयोग द्वारा शिकायतकर्ता से कोई पुष्टि नहीं ली जाएगी । यदि इन शिकायतों की संवीक्षा करने पर मुख्य सतर्कता अधिकारी आरोपों में जांच करने का प्रस्ताव करते हैं तो उपर्युक्त पैरा 2 में बताए अनुसार मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा पुष्टि ली जानी चाहिए ।

ह0/-
(जे. विनोद कुमार)
विशेष कार्य अधिकारी

सेवा में

मंत्रालयों/विभागों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों/बीमा कं0/समितियों एवं अन्य स्थानीय प्राधिकारियों के सभी मुख्य सतर्कता अधिकारी ।